प्रेस विज्ञप्ति
30.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने हाल ही में ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई–नगेट्स से जुड़े साइबर अपराधों को लक्षित करते हुए एक तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने आमिर खान और उनके सहयोगियों द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों के संबंध में कोलकाता पुलिस के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। आरोपियों ने कथित तौर पर ई–नगेट्स एप्लिकेशन के माध्यम से अनजान उपयोगकर्ताओं को उनके निवेश पर आकर्षक रिटर्न और कमीशन का वादा करके धोखा दिया। हालाँकि, उन्होंने अचानक निकासी रोक दी और ऐप सर्वर से सभी उपयोगकर्ताओं का डेटा मिटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

ऐसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों से निपटने के लिए, ईडी ने साइबर अपराधों से जुड़े 66 बैंक खातों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। परिणामस्वरूप, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुल 2.43 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज़ कर दी गई है।

अभियुक्तों की कार्यप्रणाली में जनता से धन इकट्ठा करने के लिए कई म्यूल अकाउंट स्थापित करना शामिल था। फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए, इन राशियों (फंड्स) का लेयरिंग, लॉन्ड्रिंग और डायवर्जन किया गया, जिसमें संपत्तियों का अधिग्रहण और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश भी शामिल था।

इससे पहले इस मामले में आमिर खान और रोमेन अग्रवाल को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त, रुपये 163 करोड़ से अधिक की संपत्ति, जिसमें नकदी, क्रिप्टो मुद्राएं, खाता शेष (बैंक बैलेंस) और कार्यालय स्थान शामिल हैं, कुर्क, जब्त या फ्रीज कर दिए गए हैं।

ईडी के अथक प्रयास जनता के वित्तीय हितों की सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।